[redacted]

:: न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर ::

केम्प उज्जैन मध्य प्रदेश :: निग - 2884-PBR-16

(54)

निगरानी प्र0 क0 /2016 जिला–शाजापुर म,प्र,

हेमराज पिता गुलजी आयु–50 वर्ष जाति –मीना निवासी एवं कृषक ग्राम बावडियामैना तहसील–कालापीपल जिला–शाजापुर म,प्र, ...निगरानीकर्ता

श्री ओम प्रकाश तोमर अभि० द्वारा उज्जैन केम्प पर प्रस्तुत की गई।
23-8-16

विरूद्व

फुल सिहं पिता गुलजी आयु–62 वर्ष जाति मीना निवासी एवं कृषक ग्राम बावडियामैना तहसील–कालापीपल जिला–शाजापुर म,प्र, हाल मुकाम–विनोद वेयरहाउस के पास करावर रोड कालापीपल मण्डी जिला–शाजापुर म,प्र, ... विपक्षी

CF 221014

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–50 म,प्र,भू,रा,सहिता 1959 विरूद्व न्यायालय तहसीलदार प्रकाश करबे तहसील कालापीपल के न्यायालयीन प्र0क0 7 अ–13 वर्ष 2015–2016 फुल सिहं विरूद्व हेमराज जाति मीना निवासी ग्राम बावडियामैना में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15/07/2016 से परिवेदित एवं दुखी होकर।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की और से यह निगरानी पत्र निम्न तथ्यो व आधारो पर न्यायदान हेतु सादर प्रस्तुत है :–

:: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ::

1– यह कि विपक्षी/आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील कालापीपल के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 131,132,133,134,सहपठीत धारा–32 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 मय धारा–32 के समर्थन में शपथपत्र दिनांक 27/04/2016 को प्रस्तुत कर अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर जाने वाले कृषि मार्ग को बिन्दु–अ से बिन्दु –ब तक खुला कराये जाने हैतु प्रस्तुत किया। विपक्षी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ इकरारनामा दिनांक 29/01/1995 की छाया प्रति प्रस्तुत का अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा विपक्षी के आवेदन पर अपने न्यायालय में न्यायालयीन प्रकरण कमांक–7 अ–2013 वर्ष 2015–16 फुल सिहं विरूद्व हेमराम मीना निवासी एवं कृषक बावडिया मैना पर दिनांक 27/04/2016 को दर्ज किया गया। अनावेदक/निगरानीकर्ता के जबाव हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियत किया गया। निरंतर 2

हेमराज / फूलसिंह

XXIX(a)-BR(H)-11

(54)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(54)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 2887/PBR/16 जिला - आगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार कानापीपल के प्रकरण क्रमांक 7/अ-13/15-16 में पारित आदेश दिनांक 15.7.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर आगर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर, आगर के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	